

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 295] No. 295] नई दिल्ली, सोमवार, मई 7, 2018/वैशाख 17, 1940

NEW DELHI, MONDAY, MAY 7, 2018/VAISAKHA 17, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2018

सा.का.नि. 433(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) के खंड 76 के उपखंड (ix), खंड 77 के उपखंड (iii) और उपधारा (2) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देश) संशोधन नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) में खंड (द) का लोप किया जाएगा।

[फा.सं.-01/13/2013-सीएल.-V(पार्ट-I)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 238(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.िन. 507(अ), तारीख 17 जुलाई, 2014 द्वारा इसमें पश्चावर्ती संशोधन किए गए।

2531 GI/2018 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2018

- **G.S.R. 433(E).**—In exercise of the powers conferred under sub-clause (ix) of clause (76), sub-clause (iii) of clause (77) of section 2, read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014, namely: -
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Companies (Specification of Definitions Details) Amendment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014, in rule 2, in sub-rule (1), clause (r) shall be omitted.

[F.No. 01/13/2013-CL-V-(Pt.-I)]
K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 238(E), dated 31st March, 2014 and subsequently amended vide G.S.R. 507(E), dated the 17th July, 2014.